न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05/2022 G.C.M.S. No. 2022/79 दर्ज दिनांक : 13.04.2022

अपीलार्थिगण:

काला पुत्र पुनमा, जाति माली, निवासी मोरसीम, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गोबरा पुत्र भारमला
2. हिन्दु पुत्र भारमला
3. पांचाराम पुत्र जैरूपा
4. भूराराम पुत्र जैरुपा
5. दलाराम पुत्र जैरूपा
6. कसना पुत्र तगा
7. नरसी पुत्र तगा
8. रगा पुत्र गणेशा फौत के कायम मुकाम–
   - 8/1. बुटा पुत्र रगा
   - 8/2 केवला पुत्र इगात
9. माईगा पुत्र गेबा
10. घमण्डा पुत्र गणेशा
11. हंजा पुत्र रामिंगा
12. कालु पुत्र रामिंगा
13. शंकरा पुत्र रामिंगा
14. लाला पुत्र रामिंगा
15. मु. लेहरी बेवा रामिंगा
16. गमना पुत्र पूनमा
17. पता पुत्र पूनमा
18. हरीया पुत्र सवा जातियान माली, निवासीगण मोरसीम, तहसील बागोडा, जिला जालोर (राज.)
19. राजस्थान सरकार जरिएं भूमिधारी तहसीलदार बागोडा
20. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा मोरसीम, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2012 बअनवान गोबरा बनाम कसना में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2022 एवं प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार:–

1. श्री सिकन्दर अली विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्स संख्या 01
3. श्री रियाज खां, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06, 8/1, 10 से 13, 15 से 18

निर्णय

दिनांक: 28.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2012 बअनवान गोबरा बनाम कसना में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2022 प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 5 ने अदालत मातहत के समक्ष इस मजमून का खातेदारी हक की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था कि सरहद मौजा मौरसीम में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1086 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1098 रकबा 2.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 1099 रकबा 1.05 हेक्टर, गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 1101 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 1102 रकबा 0.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 1103 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1106 रकबा 0. 50 हैक्टर, खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 1109 रकबा 1.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 1110 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1111 रकबा 2.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.01 हैक्टर, गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर1120 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 1123 रकबा 2.09 हेक्टर व खसरा नम्बर 1124 रकबा 4.04 हेक्टर कुल रकबा 24.03 हेक्टर आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के शामलाती खातेदारी की पैतृक व पुश्तैनी भूमि आई हुई है। रेस्पोडेन्ट (वादीगण) ने फिकरा नम्बर 4 में वादी संख्या 1 व 2 के कब्जा कास्त में कुल आराजी का 1/3 हिस्सा व खसरा नम्बर 1099 रकबा 1.05 हैक्टर की गै. मु ढाणी होना बताते हुए उनके हक में खातेदारी घोषणा व बंटवाडा करने तथा वाद पत्र के फिकरा नम्बर 4(2) में वर्णनानुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के खातेदारी बट में 1/3 हिस्सा घोषित करने व बंटवाडा करने तथा वाद पत्र के फिकरा नम्बर 4(3) में रेस्पोडेन्ट यादी संख्या 3 से 5 के हक में इस फिकरे में वर्णानानुसार 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित करने तथा इसी अनुसार बंटवाडा करने के संबंध में दावा पेश किया था। अपीलान्ट (प्रतिवादी संख्या 12) के नाम से कोई नोटिस या समन तामिल हुआ हो या अपीलान्ट (प्रतिवादी)

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई हो, इस तरह का वर्णन दिनांक 04/09/2012, 20/09/2012 या किसी भी आदेशिका में नहीं किया गया है दिनांक 17/12/2015 की आदेशिका में उभय पक्षकारान के बीच में राजीनामा होने से खातेदारी व बंटवाडा हेतु प्रस्ताव मंगवाने का उल्लेख किया गया है लेकिन किसी तरह का वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा पेश हुआ हो, ऐसा कही पर उल्लेख नहीं है। तथा न ही किसी तरह का कोई राजीनामा पत्रावली में पेश हुआ है निर्णय दिनांक 14/01/2022 प्राथमिक डिकी व अंतिम डिकी की परिभाषा में नहीं आता है मौजा मोरसीम के वर्तमान खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.77 हेक्टर, खसरा नम्बर 1120 रकबा 0.66 हेक्टर सम्पूर्ण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 16 व 17 गमना व पता के कब्जा कास्त में पुश्तैनी रूप से चला आ रहा है लेकिन इस भूमि मे से इस निर्णय के जरिये अपीलान्ट व गमना व पता पिसरान पूनमा के खातेदारी में कम भूमि करने में कानूनी व वाक्याती भुल की है। मौजा मोरसीम के खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.27 हैक्टर अपीलान्ट व गमना, पता के पिता पूनमा द्वारा खरीदी थी तथा 50 साल से इस भूमि पर पूनमा व उसके वारिसान का ही कब्जा कास्त चला आ रहा है। तथा उक्त भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 16 व 17 गमना व पता की रहवासीय ढाणी भी बनी हुई है फिर भी इन तथ्यों पर अदालत मातहत ने बिना गौर किये अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 16 व 17 गमना व पता के खातेदारी में कम करने में कानूनी व वाक्याती भुल की है। अदालत मातहत ने प्रथम मौका रिपोर्ट दिनांक 05/07/2017 को मंगवाई जिसमें खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.76 हैक्टर पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 16 व 17 गमना, पता पिसरान पुनमा का कब्जा कास्त बताया गया था फिर भी अदालत मातहत ने दिनांक 20/09/2021 को गलत रूप से मौका रिपोर्ट मंगवाकर निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी व वाक्याती भुल की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय जैर अपील दिनांक 14–01–2022 को पारित किया गया है। जिसकी सूचना अपीलान्ट को पूर्व में नही थी अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमावे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली व संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.01.2022 को निर्णित कर अन्तिम डिक्री पारित की गयी। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 21.03.2022 को पटवार हल्का मोरसीम के पास जाने पर निर्णय की जानकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
माली

Scanned with OKEN Scanner

हुई, जिस पर निर्णय की नकल लेकर अपील खर्च का इन्तजाम करके यह अपील पेश की जा रही है। जिसमें निर्णय की जानकारी दिनांक 21.03.2022 को होने पर निर्णय के ज्ञान से अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है एवं प्रकरण में अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से विलंब कारित नहीं होकर विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं

3. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विधिवत विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 17.12.2015 को वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई । इसके पश्चात तहसीलदार बागौड़ा द्वारा मौका फर्द दिनांक 20.09.2021 प्रस्तुत की, जिस पर सम्बंधित तहसीलदार द्वारा आई.एल.आर. व पटवारी से मौका रिपोर्ट तैयार करवा कर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई गई। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके का सत्यापन कर तैयार नहीं की गई है, बल्कि सम्बंधित हल्का पटवारी व भू. अभि. निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है, जिस पर तहसीलदार बागोड़ा द्वारा अपने प्रति हस्ताक्षर (counter signature) किये हुए है। यह भी दर्शित होता है कि उक्त मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। चूंकि अपीलार्थी को मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने के वक्त उपस्थिति हेतु कोई नोटिस भी जारी किया जाना अभिलेख से प्रकट नहीं होता है।

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का एवं भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाये गए है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 में तहसीलदार स्वयं भूमि के विभाजन के प्रस्ताव अपने हस्ताक्षर व सील के द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तैयार करना होता है। तहसीलदार अपने उक्त आज्ञापक पदीय कर्तव्य को अपने अधीनस्थ कार्मिको को प्रत्यायोजित करने के लिए सक्षम नहीं है तथा न्यायालयों द्वारा पटवारी/नायब तहसीलदार/लैण्ड रिकार्ड निरीक्षक द्वारा तैयार किए गए विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अंतिम डिक्री पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

5. उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने स्वयं मौके पर न जाकर पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक से प्रस्ताव तैयार कराये है। बंटवारे के वाद पत्र में सभी खातेदारों के हिस्सों को ध्यान में रखते हुए सभी खातेदारों के आने जाने हेतु रास्ते को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करना होता है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना अपेक्षित होती है । हस्तगत प्रकरण में पटवारी व भू. अ. निरीक्षक द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए है जिस पर तहसीलदार के काउन्टर हस्ताक्षर है।

6. हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखुबी साबित होने व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विधिअनुरूप पुनः निर्णित करने के निर्देश के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः नये सिरे से विधिसम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 25/2012 बअनवान गोबरा बनाम कसना में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.01.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम में धारा 53 राजस्थान अधिनियम 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के मुताबिक उभय पक्षों को सूचना देते हुये मौके पर स्वयं तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट तैयार करवा कर विधिनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 09.03.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर बागौड़ा में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner